

12/2/22

में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ
 प्रकरण को इसी स्तर पर विद्वों को
 चाहिए है। उक्त प्र. का स्वीकार
 फलस्वरूप जकार वाद विद्वों को अनुमति
 प्रदान की जाये।
 प्रार्थी द्वारा अपनी पक्षानुबन्ध दस्तावेज
 में आधार फाई की स्वयं सत्यापित
 प्रति प्रेष की जा चुकी है।
 पत्रावली वस्तु अधिक आगमन को
 दिनांक 15/2/22 को प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

15/2/22

पत्रावली प्रेषित है। प्रार्थी वादी
 उपस्थित। प्रार्थी वादी की वृद्ध
 वाकत वाद विद्वों को विचार करने के
 लिये पर कठिन विचार व पत्रावली
 का अनुसंधान किया गया।
 चूंकि स्वयं प्रार्थी वादी द्वारा
 प्र. का वाकत वाद विद्वों को विचार करने
 के प्रस्ताव का वाद को आगे नहीं
 चलाना चाहकर वाद विद्वों को अनुमति
 चाहिए। उक्त न्यायव्यवस्था व
 लोच अदालत की भावना से दृष्टिगत
 प्राप्ता स्वीकार किया जाकर वाद
 वादी विद्वों के आधार पर विचार
 किया जाता है। निम्निलुक्त प्र. का
 पत्रावली प्रेषित हुआ दोष के
 नकार से वगैरे। वाद नकार
 दायित्व प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)